

भाग—III**हरियाणा सरकार****वित्त विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

संख्या सा०का०नि० 19/संवि०/अनु०309/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग I सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2025 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
 - (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो ;
 - (घ) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय;
 - (ङ.) "परीक्षा" से अभिप्राय है, ऐसे विनियमों, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, के अनुसार इस प्रयोजन के लिए सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा, संचालित हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा सेवा परीक्षा भाग— I तथा II;
 - (च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (छ) "संस्था" से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (ज) "संगठन" से अभिप्राय है, और इसमें शामिल है, हरियाणा सरकार के सभी विभाग, वैधानिक निकाय। इसमें विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, संघ तथा प्राधिकरण जो पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन हो, भी शामिल हैं;
 - (झ) अनुभव के प्रयोजन के लिए "विख्यात संगठन" से अभिप्राय है, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई संगठन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत गैर सरकारी संगठन शामिल है जिसका आवर्त कम से कम एक वर्ष के लिए 75 करोड़ रुपये का हो;
 - (ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो; तथा
 - (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा।

भाग II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमान वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती
किए गए
उम्मीदवारों की
राष्ट्रीयता,
अधिवास तथा
चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, —

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद दिया जाएगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति
प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति महानिदेशक द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा
अनुभव।

7. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रवर्ग से संबंधित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित में कारण दिए जाएंगे:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा सेवा में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो,—

(i) दो प्रयासों में भाग I की परीक्षा: तथा

(ii) दो प्रयासों में भाग II की परीक्षा,

उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। परीक्षा के किसी भाग की परीक्षा में बैठने का कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी परिस्थिति, जो उसके नियन्त्रण से परे है, के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्रशासकीय सचिव, अपने विवेक पर, अनुकम्पा आधार पर एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दे सकता है।

व्याख्या:— “दो प्रयासों” से अभिप्राय है, संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से तीन मास के उपरान्त सरकार/अभिकरण द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) की संख्या, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि उसने ऐसी परीक्षा के लिए आवेदन किया है या उसमें उपस्थित हुआ है या नहीं। नियुक्ति की तिथि के बाद तीन मास के भीतर किए गए परीक्षा के प्रयास को दो प्रयासों के प्रयोजन के लिए अवगणित कर दिया जाएगा।

(2) कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति परीक्षा के दोनों भाग अर्हक नहीं कर लेता।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

भर्ती का ढंग।

(क) सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी की दशा, में,—

(i) 50 प्रतिशत बी काम (प्रथम श्रेणी) की योग्यता रखने वाले हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग के अधीक्षकों, निजी सचिवों, उप-अधीक्षकों, लेखा परीक्षकों, सहायकों, निजी सहायकों, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, आशुटंककों तथा लिपिकों जिन्होंने ऐसे विनियमों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त अवधारित किए जाएं, के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा पास की हो, में से हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा उत्तीर्ण की हो के माध्यम से नियुक्ति द्वारा ; तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) उप-अधीक्षक की दशा में,—

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) सहायकों की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) लेखा-परीक्षकों की दशा में,—

(i) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) निजी सहायक की दशा में,—

(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) 80 प्रतिशत आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ज) चालक की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (झ) आशुटकक की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ञ) लिपिक की दशा में,—
- 50 प्रतिशत सामूहिक संवर्ग के ग्रुप-घ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मानव संसाधन विभाग को आंबटित; तथा
 - 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने विनिर्दिष्ट तिथि को परीक्षा के दोनों भाग पास किए हैं, की पृथक योग्यताक्रम सूची, उन द्वारा उपभोग किए गए प्रयासों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, परीक्षा के दोनों भागों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अनुरक्षित की जाएगी।

(4) नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों की उपलब्धता के अध्यधीन की जाएगी। उपरोक्त उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दोनों भागों में केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना सेवा में नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा। तथापि, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट योग्यताक्रम सूची अन्तिम उम्मीदवार, जिसका नाम योग्यताक्रम सूची में सबसे नीचे है, के शामिल होने तक वैध रहेगी।

कम्प्यूटर
अप्रीशिएशन तथा
ऐप्लिकेशन में
राज्य पात्रता
परीक्षा।

10. (1) लिपिकों, आशुटककों कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को पद पर नियमित नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक नहीं करने की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी। आशुटककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को सेवा नियमों में यथा विहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (3) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्ड प्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।

(4) लिपिकों की दशा में, दोनो मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द या हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(5) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है:—

- एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;

- (iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.ज.) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच.एस.सी.आई.टी.);
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस.ई.टी.सी. पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हार्डटोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन, ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरेलाइसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅव प्रॉ:लुजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है। तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए या उक्त नियमों में यथा विहित परीक्षा पास करने की अवधि तक, जो भी बाद में हो, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा: परीक्षा।

परन्तु :-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञेय होगी; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

- (क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति को नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है।
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो—
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हरियाणा राज्य
लेखा परीक्षा सेवा
परीक्षा।

ज्येष्ठता।

12. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों के लिए परीक्षा के संचालन हेतु पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया, ऐसी होगी जो समय-समय पर, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

13. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, तो वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

(2) परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सदस्यों के मामले में,—

(i) ज्येष्ठता, परीक्षा के दोनों भागों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार, निर्धारित की जाएगी;

(ii) जहां किसी संगठन या विभिन्न संगठनों के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के दोनों भागों में समान अंक है, तो ऐसे मामले में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर पूर्व नियुक्ति में भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य ज्येष्ठ होगा;

(iii) परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का
दायित्व।

14. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा;

(2) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता है:

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (2) या (3) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा किन्हीं निर्बन्धनों जो सक्षम प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना उचित समझें, के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1.— किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान नहीं करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

- टिप्पण 2.— सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं होने पर होता।
- टिप्पण 3.— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए आदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।
15. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा नियम तथा अन्य नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या तत्समय लागू या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अपनाएं अथवा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं।
16. (1) अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :
परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तिया लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।
(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।
17. सेवा का प्रत्येक सदस्य, स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।
18. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
19. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति/पदोन्नति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।
21. इन नियमों में दी कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
मामले।

अनुशासन,
शास्तिया तथा
अपीलें।

टीका लगवाना।

राजनिष्ठा की
शपथ।

ढील देने की
शक्ति।

विशेष उपबंध।

आरक्षण।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी	100	एफ0पी0एल0 7, सेल-1=44900/- रुपए
2.	उप-अधीक्षक	04	एफ0पी0एल0 6,सेल -1=35400/- रुपए
3.	सहायक	30	एफ0पी0एल0 6,सेल -1=35400/- रुपए
4.	लेखा परीक्षक	200	एफ0पी0एल0 6,सेल-1 =35400/- रुपए
5.	निजी सहायक	01	एफ0पी0एल0 6,सेल-1= 35400/- रुपए
6.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	02	एफ0पी0एल0 6,सेल-1 =35400/- रुपए
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	04	एफ0पी0एल0 4,सेल-1 =25500/- रुपए
8.	चालक	04	एफ0पी0एल0 4,सेल-1 =25500/- रुपए
9.	आशुटंकक	06	एफ0पी0एल0 2,सेल-1= 19900/- रुपए
10.	लिपिक	44	एफ0पी0एल0 2,सेल-1= 19900/- रुपए

परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)			
क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी	(i) क. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से (प्रथम श्रेणी में) बी.काम; तथा ख. किसी विख्यात संगठन में लेखा-परीक्षा या लेखों का तीन वर्ष का अनुभव; या (ii) क. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य एम.काम. में मास्टर डिग्री या एम.बी.ए. (वित्त); तथा ख. किसी विख्यात संगठन में लेखा-परीक्षा या लेखों का एक वर्ष का अनुभव; या (iii) भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था से चार्टर्ड लेखाकार; या (iv) भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान से लागत लेखाकार; तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति द्वारा – बी.काम. (प्रथम श्रेणी) की योग्यता रखने वाले हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग के अधीक्षकों, उप-अधीक्षकों, लेखा-परीक्षकों, सहायकों, निजी सहायकों, निजी सचिवों, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों, आशुटंककों तथा लिपिकों जिन्होंने ऐसे विनियमों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त अवधारित किए जाएं, के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हों में से नियुक्ति द्वारा; या हरियाणा सरकार के किस भी विभाग में ग्रुप ख या ग अथवा इसके समकक्ष पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों में से जिनके पास; (i) प्रथम श्रेणी सहित बी.काम.; (ii) किसी ग्रुप ख या ग्रुप ग पद पर तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) हरियाणा राज्य लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ii) हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
2.	उप-अधीक्षक	..	पदोन्नति द्वारा— नियमित पद पर नियुक्ति के बाद सहायक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;

			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) उप-अधीक्षक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
3.	सहायक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा— नियमित पद पर नियुक्ति के बाद लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
4.	लेखा परीक्षक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बी.काम या 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.काम या एम.बी.ए. (वित्त); तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा— ग्रुप ग कर्मचारी जिसके पास— (i) नियमित पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष का अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सहित बी.काम.; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.काम. या एम.बी.ए. (वित्त)। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लेखा परीक्षक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सहित बी.काम.; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
5.	निजी सहायक	---	पदोन्नति द्वारा— नियमित पद पर नियुक्ति के बाद वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) निजी सहायक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
6.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	---	पदोन्नति द्वारा— (i) नियमित पद पर नियुक्ति के बाद कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन तथा 80 शब्द

			प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; चार प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा — (i) नियमित पद पर नियुक्ति के बाद आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
8.	चालक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन/ भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति जैसी भी स्थिति हो होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) चालक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन/ भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति जैसी भी स्थिति हो होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
9.	आशुटंकक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन तथा 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) आशुटंकक के रूप में या इसके समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव ; (ii) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.); तथा अर्हक करेगा ;तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

10.	लिपिक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) नियमित पद पर नियुक्ति के बाद लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (ii) कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करेगा; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
-----	-------	---	--

परिशिष्ट ग {देखिए नियम 16(1)}						
क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी	महा-निदेशक	(i) छोटी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित	महा-निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	उप अधीक्षक		(ii) बड़ी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित			
3.	सहायक					
4.	लेखा परीक्षक					
5.	निजी सहायक					
6.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक					
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक					
8.	चालक					
9.	आशुटकक					
10.	लिपिक					

परिशिष्ट घ {देखिए नियम 16(2)}				
क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	(क) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	महानिदेशक	प्रशासकीय सचिव
2.	उप-अधीक्षक	(ख) सेवा की समाप्ति;		
3.	सहायक	(ग) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की नियत आयु के होने से पूर्व लोक हित में सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति।		
4.	लेखा परीक्षक			
5.	निजी सहायक			
6.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
8.	चालक			
9.	आशुटंकक			
10.	लिपिक			

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 23rd December, 2025

No. G.S.R.19/Const./Art.309/2025.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed in Group-C to posts in the Directorate of State Audit Haryana, namely:-

PART-I— General

1. (1) These rules may be called the Directorate of State Audit Haryana (Group C) Service Rules, 2025. Short title and commencement.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In these rules, unless the context otherwise requires, - Definitions.
 - (a) “Administrative Secretary” means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, as the case may be;
 - (b) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;
 - (c) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
 - (d) “Director General” means the Director General, Directorate of State Audit Haryana;
 - (e) “examination” means Haryana State Audit Services Examination Part-I and II conducted by the Government or any other agency authorized by government for this purpose, in accordance with such regulations, as may be notified by Government, from time to time;
 - (f) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (g) “institution” means-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (h) “organization” means and includes all Departments of Haryana Government, statutory Bodies. It also includes Universities, Boards, Corporations, Federations, Authorities wholly owned and controlled by the State Government;
 - (i) “reputed organization” for the purpose of experience means an organization under any State Government or Government of India and includes the Private Organization registered under Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) having turnover of at least seventy-five crore rupees for one year;
 - (j) “recognized university” means-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university, which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules.
 - (k) “Service” means the Directorate of State Audit Haryana Group (C) Service;

PART II- RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules: Number and character of posts.
Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make addition to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is-
- (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination conducted by the commission or any other recruiting agency but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting agency.

Appointing authority.

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Director General.

Qualifications and experience.

7. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Commission or any recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing:

Provided further that a person recruited to the Service by direct appointment as Assistant Audit Officer, who fails to pass-

- (i) Examination of Part-I in two attempts;
- (ii) Examination of Part-II in two attempts,

his services shall be dispensed with. No further attempt to appear in the examination of any part shall be allowed:

Provided further that if an employee fails to appear in the examination due to the circumstances beyond his control, the Administrative Secretary, at his discretion, may grant one extra attempt on compassionate ground.

Explanation. - Two attempts means the number of examination(s) conducted by Government/ agency after three months from the date of appointment of the concerned person irrespective of the fact that he has applied for or appeared in such examination or not. An attempt of examination taken within three months after the date of appointment shall be ignored for the purpose of two attempts.

- (2) No annual increment shall be admissible until a person appointed by direct recruitment qualifies all parts of the examination.

Disqualifications.

8. No person—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- | | | | |
|----|-----|--|------------------------|
| 9. | (1) | Recruitment to the Service shall be made,- | Method of recruitment. |
|----|-----|--|------------------------|
- (a) in the case of Assistant Audit Officer -
 - (i) 50% by appointment through Haryana State Audit Services Examination from amongst the Superintendents, Deputy Superintendents, Auditors, Assistants, Private Secretary, Personal Assistant, Senior Scale Stenographers, Junior Scale Stenographers, Steno-Typists and Clerk of any Department of Haryana Government having qualification of B.Com (1st Division), who have passed Haryana State Audit Service Examination conducted by the State Government in accordance with the such regulations determined by the Government, from time to time; and
 - (ii) 50% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in service in Government of India or any State Government.
 - (b) in the case of Deputy Superintendent -
 - (i) by promotion from amongst Assistants; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or in any State Government.
 - (c) in the case of Assistant -
 - (i) 50% by promotion from amongst Clerks; and
 - (ii) 50% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or in any State Government.
 - (d) in the case of Auditor -
 - (i) 10% by promotion from amongst Group C employees; and
 - (ii) 90% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or in any State Government.
 - (e) in the case of Personal Assistant—
 - (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or in any State Government.
 - (f) in the case of Senior Scale Stenographer -
 - (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers; or
 - (ii) By transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or in any State Government.
 - (g) in the case of Junior Scale Stenographer-
 - (i) 80% by promotion from amongst Steno-typist; and
 - (ii) 20% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or any State Government.
 - (h) in the case of Driver -
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or any State Government
 - (i) in the case of Steno typist—
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or any State Government.
 - (j) in the case of Clerk—
 - (i) 50% allocated to Human Resources Department for promotion of Group D employees of Common Cadre; and

- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in Service in Government of India or any State Government.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) For the purpose of appointment through Examination, a separate merit list of all the candidates who have passed each part of Examination on a specified date shall be maintained on the basis of total marks of examination irrespective of the number of attempts availed by them.

(4) Appointment shall be made subject to availability of the sanctioned vacant posts. Mere passing of examination shall not confer any right upon any candidate to appointment in the Service. However, the merit list referred to in sub-rule (3) shall remain valid till the joining of the last candidate whose name appears at the bottom of the merit list.

State Eligibility
Test in
Computer
Appreciation
and
Applications
(SETC).

10. (1) The Clerks, Steno-typists, the Junior Scale Stenographers and the Senior Scale Stenographers shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within one year after regular appointment on the post. No annual increment and no promotion shall be admissible during the period of non-qualifying of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications. The Steno-typists, the Junior Scale Stenographers and the Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the state Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (3) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government would be accepted as an evidence of the fulfillment of the prescribed condition in the Service Rules.

(3) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, internet browsing and E-mail management only.

(4) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(5) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-

- (i) M.Tech/B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
- (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
- (iii) Haryana State Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
- (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
- (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand and (Left Right) Amputation of Nerve upper Limbs, Paralysis of Radial (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and visually handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).

11. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years or up to the period of passing the examination as prescribed, whichever is later, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise (excluding the period of leave availed, if any: Probation.

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall counted towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular post.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

- (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, against a regular post; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

12. (1) The syllabus and procedure for conduct of Haryana State Audit Service Examination for the persons appointed by direct recruitment and by transfer from other department shall be such, as specified by the Government from time to time. Haryana State Audit Service Examination.

13. Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
- (2) In the case of members appointed through Examination-
 - (i) seniority shall be determined according to the merit list prepared on the basis of aggregate marks obtained in every parts of examination;
 - (ii) where the total marks of every part of two or more candidates of the same or different Organization is equal, in such case the seniority shall be determined according to pay. Preference shall be given to the member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn in previous appointment are also the same, elder in age shall be senior in the service;

(iii) member appointed through Examination shall be senior to a member appointed by transfer.

Liability to serve.

14. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered to do so by the appointing authority.

(2) A member of the Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any organization/Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Provided that no member of Service shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(3) No member of the Service shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any organization/department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(4) Transfer of a member of Service under sub-rule (2) or (3) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.- No member of Service shall be transferred to foreign service on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.- The lien of member of Service in this Department shall remain intact had he not been transferred to foreign service or on deputation.

Note 3.- A member of Service transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation. However, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

Pay, leave, pension and other matters.

15. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

16. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

17. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government directs by a special or general order. Vaccination.

18. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance of India and to the Constitution of India, as established by Law. Oath of allegiance.

19. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.

20. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so. Special provisions.

21. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons under clause (4) of article 16 of the Constitution of India and in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time. Reservations.

Appendix A*(see rule 3)*

Serial Number	Designation of post	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1	Assistant Audit Officer	100	FPL-7, Cell-1=Rs.44900/-
2	Deputy Superintendent	4	FPL-6, Cell-1= Rs. 35400/-
3	Assistant	30	FPL-6, Cell-1=Rs. 35400/-
4	Auditor	200	FPL-6, Cell-1=Rs. 35400/-
5	Personal Assistant	1	FPL-6, Cell-1=Rs. 35400/-
6	Senior Scale Stenographer	2	FPL-6, Cell-1=Rs. 35400/-
7	Junior Scale Stenographer	4	FPL-4, Cell-1=Rs. 25500/-
8	Driver	4	FPL-4, Cell-1=Rs. 25500/-
9	Steno Typist	6	FPL-2, Cell-1=Rs. 19900/-
10	Clerk	44	FPL-2, Cell-1=Rs. 19900/-

Appendix B*(see rule-7)*

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Education qualification and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Assistant Audit Officer	(i) (a) <u>B.Com</u> with first division) from any recognized university; and (b) three years experience of Audit or Accounts in a reputed organization; or (ii) (a) Master Degree in commerce (M.Com) or MBA (Finance) with 55%marks from any recognized university; and (b) one year experience of Audit or Accounts in a reputed organization; or (iii) Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountant of India; or (iv) Cost Accountant from Institute of Cost Accountant of India; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	Appointment through Haryana State Audit Services Examination from amongst the Superintendents, Deputy Superintendents, Auditors, Assistants, Private Secretary, Personal Assistant, Senior Scale Stenographers, Junior Scale Stenographers, Steno-Typists and Clerk of any Department of Haryana Government having qualification of B.Com (1st Division), who have passed Haryana State Audit Service Examination conducted by the State Government in accordance with the such regulations determined by the Government, from time to time; or From amongst regular employees working in any department of Haryana Government on a post of Group B or C or equivalent post having- (i) B.Com with first division; and (ii) three years experience on any of the Group B or C post; and (iii) has qualified Haryana State Audit Service examination or Haryana State Accounts Service Examination. By transfer or deputation— (i) one year experience as Assistant Audit Officer or its equivalent post; (ii) has qualified Haryana State Audit Service examination or Haryana State Accounts Service Examination; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
2.	Deputy Superintendent	-----	By promotion- Eight years experience as Assistant after appointment on regular post. By transfer or deputation – (i) one year experience as Deputy Superintendent or its equivalent post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

3.	Assistant	(i) Graduation from a recognized university; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	By promotion — Five years' experience as Clerk after appointment on regular post. By transfer or deputation - (i) one year experience as Assistant or its equivalent post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
4.	Auditor	(i) <u>B.Com</u> with first division from any recognized university; or M.Com or MBA(Finance) with 55% marks from any recognized university; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	By promotion— Group C employees having- (i) Five years' experience after appointment on regular post; (ii) B.Com with first division from recognized university; or (iii) M.Com or MBA(Finance) with 55% marks from any recognized university. By transfer or deputation:- (i) one year experience as auditor or its equivalent post; (ii) <u>B.Com</u> with first division; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
5.	Personal Assistant	----	By Promotion- Five years' experience as Senior Scale Stenographer after appointment on regular post. By transfer or deputation- (i) one year experience as Personal Assistant or its equivalent post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
6.	Senior Scale Stenographer		By promotion- (i) Three years experience as Junior Scale Stenographer after appointment on regular post; (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; Mistakes should not exceed 4%; By transfer or deputation- (i) one year experience as Senior Scale Stenographer or its equivalent post; and

			(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education;
7.	Junior Scale Stenographer	(i) 10+2 or its equivalent; (ii) English Shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; and Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; Mistakes should not exceed 8 %; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education	By Promotion — (i) Three years' experience as Steno-typist after appointment on regular post; (ii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; and Hindi Shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; Mistakes should not exceed 8%; By transfer or deputation— (i) one year experience as Junior Scale Stenographer or its equivalent post; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education;
8.	Driver	(i) 10+2 or its equivalent; (ii) should have a light/heavy valid driving license, as the case may be, at least three years old; (iii) should have passed the driving test . The driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission. (iv) should not be colour blind; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	By transfer or deputation - (i) 10+2 or its equivalent; (ii) one year experience as driver; (iii) should have a light/heavy valid driving license, as the case may be, at least three years old; (iv) should not be colour blind; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
9.	Steno -typist	(i) 10+2 or its equivalent; (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription at a speed of 15 words per minute; Hindi Shorthand at a speed of 64 words per minute and transcription at a speed of 11 words per minute; Mistakes should not exceed 8%; and	By transfer or deputation - (i) one year experience as Steno-typist or its equivalent post; (ii) has qualified State Eligibility Test in Computer Appreciation & Application (SETC); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education;	
10.	Clerk	(i) 10+2 or its equivalent; (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	By transfer or deputation: - (i) one year experience as Clerk or its equivalent post; (ii) has qualified State Eligibility Test in Computer Appreciation & Application (SETC); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

Appendix C*{see rule 16(I)}*

Serial Number	Designation of Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Assistant Audit Officer	Director General	Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Director General	Administrative Secretary	Government
2.	Deputy Superintendent					
3.	Assistant					
4.	Auditor		Major Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.			
5.	Personal Assistant					
6.	Senior Scale Stenographer					
7.	Junior Scale Stenographer					
8.	Driver					
9.	Steno Typist					
10.	Clerk					

Appendix D

{see rule 16(2)}

Serial Number	Designation of Posts	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1.	Assistant Audit Officer	(a) Reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing pension;	Director General	Administrative Secretary
2.	Deputy Superintendent,	(b) Termination of service;		
3.	Assistant			
4.	Auditor	(c) Premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.		
5.	Personal Assistant			
6.	Senior Scale Stenographer			
7.	Junior Scale Stenographer			
8.	Driver			
9.	Steno Typist			
10	Clerk			

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.